

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2021—श्रावण 1, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021

क्र. एफ-2-15-2021-लोसेप्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा क्रमांक 5.8 एवं सेवा क्रमांक 5.9 की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-05, दिनांक 18 मई 2015 एवं अधिसूचना क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-05, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं.

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.8	अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र. 1. अस्थायी	नगर निगमों के लिए आयुक्त नगरपालिका, नगर परिषद् के लिए संभागीय संयुक्त संचालक ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले प्रकरण के लिए कलेक्टर.	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	15 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	नवीनीकरण	नगर निगमों के लिए आयुक्त नगरपालिका, नगर परिषद् के लिए संभागीय संयुक्त संचालक ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले प्रकरण के लिए कलेक्टर.	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	07 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
5.9	व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए. आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका निगम क्षेत्र के लिए.	07 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण. आयुक्त, नगरपालिका निगम.	07 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदोरिया, उपसचिव.